

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch: Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/ ३०६६
दिनांक : १७/८/२०२२

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-९७५/७९-वि-१-१४-१(क)१९/२०१४ दिनांक १८.०७.२०१४ द्वारा उत्तर की धारा-३७(२) के परन्तुक के अधीन इन्द्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन एण्ड मैनेजमेंट, इन्द्रप्रस्थ नगर, गढ़ रोड, योजनान्तर्गत करिपय शर्तों के अधीन दिनांक ०१.०७.२०२१ से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

०१. संस्था द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २००३ द्वारा मूल अधिनियम, १९७३ की धारा-३७(२) पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
०२. करिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा-प्रामूल का नवीनीकरण, अरिनशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन०बी०सी० प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
०३. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
०४. संस्था शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६(९२)/२००२ दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
०५. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक २६.११.२०२१ के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०सी०ए० पाठ्यक्रम (दो सैक्षण) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत करिपय शर्तों के अधीन दिनांक ०१.०७.२०२१ से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

१. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-२, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
२. सचिव, इन्द्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन एण्ड मैनेजमेंट, इन्द्रप्रस्थ नगर, गढ़ रोड, जरौथी, हापुड़ को सूचनार्थ प्रेषित।
३. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
४. प्रभारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
५. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
६. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
७. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
८. गार्ड फाइल हेतु।